न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सं. 138/2024

जीसीएमएस सं. 2024/215

अपीलांट्सः–

1. भीख सिंह पुत्र बींजराज सिंह
2. तगत सिंह पुत्र बींजराज सिंह
3. चनण सिंह पुत्र बींजराज सिंह

सभी जातियान राजपूत, निवासीगण ग्राम लवारन, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोंडेंट्सः–

1. डूंगर सिंह पुत्र पुखराज सिंह
2. राणीदान सिंह पुत्र अलीदाससिंह फौत के कायम मुकाम–
   - 2/1 अशोक सिंह पुत्र स्व. राणीदान सिंह
   - 2/2 कान सिंह पुत्र स्व. राणीदान सिंह
   - 2/3 सवाई सिंह पुत्र स्व. राणीदान सिंह

     जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम लवारण, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर
   - 2/4 श्रीमती जसु कंवर पुत्री स्व. राणीदान सिंह पत्नी मानसिंह जाति राजपूत

     निवासी गांव भैरवा, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर।
   - 2/5 श्रीमती दमाकंवर पुत्री स्व. राणीदान सिंह पत्नी नकतसिंह जाति राजपूत

     निवासी गांव भालू राजवा, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।
3. भोजराज सिंह पुत्र श्री अलीदास सिंह फौत के कायम मुकाम–
   - 3/1 अर्जुन सिंह पुत्र स्व. श्री भोजराज सिंह
   - 3/2 दुर्ग सिंह पुत्र स्व. श्री भोजराज सिंह
   - 3/3 प्रभु सिंह पुत्र स्व. श्री भोजराज सिंह
   - 3/4 भाखर सिंह पुत्र स्व. श्री भोजराज सिंह
   - 3/5 श्रीमती लादू कंवर पत्नी स्व. भोजराज सिंह

   समस्त जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम लवारन, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।
4. फतेहसिंह पुत्र गुमान सिंह

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

5. भंवर सिंह पुत्र मान सिंह
6. गजे सिंह पुत्र श्री मान सिंह
7. प्रेम सिंह पुत्र मानसिंह
8. गायड सिंह पुत्र करण सिंह
9. गोरधन सिंह पुत्र करण सिंह
10. कल्याण सिंह पुत्र करण सिंह

समस्त जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम लवारन, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।

11. तहसीलदार, सेखाला, जिला जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बविरूद्ध आदेश तहसीलदार (भू.अ.) बालेसर बाबत नामांतरकरण सं. 33 दिनांक 01.03.2016 के विरूद्ध।

उपस्थितिः—

1. अधिवक्ता श्री शंकर सिंह (अपीलांट्स की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री भीख सिंह भाटी (प्रत्यर्थी सं. 1, 5, 6, 9 की ओर से)

निर्णय **दिनांक 28.01.2026**

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अंतर्गत, तहसीलदार, बालेसर, जिला जोधपुर द्वारा ग्राम उम्मेदगढ, पटवार मण्डल देडा (वर्तमान प.मं. लवारन) के नामांतरकरण सं. 33 पर पारित आदेश दिनांक 01.03.2016 को ख.नं. 237/2 की हद तक को अपास्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 18.12.2024 को पेश की गई है।
2. अपील प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. जारी किये गये। प्रत्यर्थीगण सं. 1, 5, 6 व 9 की ओर से श्री भीखसिंह भाटी, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। शेष प्रत्यर्थीगण पर नोटिस डिलीवर होने के सबूत के रूप में पोस्ट ऑफिस की ट्रेक रिपोर्ट पेश की गई है जिसे पर्याप्त तामिल माना जाता है। तामिल होने के बावजूद अनुपस्थित रहने के कारण, उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते है।
3. अपील मीमों में वर्णित अभिकथनों अनुसार, प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारवान तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स व प्रत्यर्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियां ग्राम

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

लवारन, उम्मेदगढ व शिवसर, तहसील सेखाला में आई हुई है। उक्त ग्रामों में स्थित संयुक्त खातेदारी भूमियों को आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु दिनांक 09.09.2015 को एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार, बालेसर को पेश किया गया। उक्त प्रस्तावित बंटवाडा में ग्राम उम्मेदगढ का ख.नं. 217 रकबा 25–03 बीघा तथा ख.नं. 237 रकबा 120–14 बीघा की भूमि भी शामिल थी एवं उक्त दोनों खसरों का बंटवारा करने हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष पेश किया था–

ग्राम उम्मेदगढ–

A. ख.नं. 217 रकबा 25–03 बीघा–

i) प्रत्यर्थी डूंगरसिंह वगैरा को ख.नं. 217 में रकबा 19–18 बीघा दी गई।

ii) अपीलांट भीखसिंह वगैरा ख.नं. 217/1 रकबा 5–05 बीघा भूमि दी गई।

B. ख.नं. 237 रकबा 120–14 बीघा–

i) प्रत्यर्थीगण भंवरसिंह वगैरा के बंट में ख.नं. 237 रकबा 62–19 बीघा दी गई।

ii) अपीलांट्स भीखसिंह वगैरा को ख.नं. 237/1 रकबा 57–15 बीघा भूमि दी गई।

पक्षकारों द्वारा उक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए तहसीलदार, बालेसर ने अन्य खसरा नंबरान के साथ–साथ उक्त ख.नं. 217 व 237 का विभाजन निम्नानुसार करने का आदेश कमांक 1308 दिनांक 11.09.2015 को राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 53(2)(1) के तहत पारित किया।

A. ख.नं. 217 में रकबा 19–18 बीघा भूमि प्रत्यर्थीगण डूंगरसिंह वगैरा को आवंटित की गई तथा ख.नं. 217/1 रकबा 5–05 बीघा भूमि अपीलांट्स भीखसिंह, तगत सिंह, चनण सिंह को आवंटित की गई, जो पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत बंटवारा सहमति पत्र अनुसार ही है।

B. ख.नं. 237 में रकबा 62–19 बीघा भूमि प्रत्यर्थीगण भंवरसिंह वगैरा को आवंटित की तथा 237/1 की 57–15 बीघा भूमि अपीलांट्स भीखसिंह, तगत सिंह व चनण सिंह को आवंटित की, जो आपसी बंटवारा सहमति पत्र के अनुसार ही है।

उक्त विभाजन आदेश कमांक 1308 दिनांक 11.09.2015 की पालना में पटवारी हल्का ने ग्राम उम्मेदगढ का आक्षेपित नामांतरकरण सं. 33 दिनांक 26.02.2016 को

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

पटवारी द्वारा दर्ज किया, जिसमें ख.नं. 217 व 237 की भूमि के रकबे में हेराफेरी की है तथा इन्द्राज इस प्रकार किये–

A. ख.नं. 217 की 17–08 बीघा भूमि डूंगरसिंह वगैरा के नाम दर्ज की है, जबकि बंटवारा आदेश में डूंगरसिंह को 19–18 बीघा भूमि आवंटित की है अर्थात् डूंगरसिंह वगैरा के नाम ख.नं. 217 में 2–10 बीघा भूमि कम दर्ज की है।

B. ख.नं. 217/1 की 7–15 बीघा भूमि अपीलांट भीखसिंह वगैरा के नाम दर्ज की है, जबकि बंटवारा आदेश दिनांक 11.09.2015 में अपीलांट भीखसिंह को केवल 5–05 बीघा भूमि ही आवंटित की है अर्थात् अपीलांट्स को ख.नं. 217/1 में 2–10 बीघा भूमि अधिक दर्ज की है।

4. ख.नं. 237/1 के रूप में 57–15 बीघा भूमि अपीलांट्स को बंटवारा आदेश दिनांक 11.09.2015 से आवंटित की थी, परंतु नामांतरकरण में ख.नं. 237/1 का रकबा 55–05 बीघा ही अपीलांट्स के नाम दर्ज की है तथा शेष 2–10 बीघा भूमि का नया ख.नं. 237/2 सृजित करके प्रत्यर्थीगण डूंगरसिंह वगैरा के नाम दर्ज कर दी तथा नक्शें में यह 2–10 बीघा भूमि सडक के पास बताई है, जो आदेश दिनांक 11.09.2015 के विपरीत है। पटवारी को न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इन्द्राज करने का कोई अधिकार ही नहीं है। बंटवारा आदेश में ख.नं. 237/2 का कोई उल्लेख ही नहीं है। अतः बिना आदेश सृजित ख.नं. 237/2 को निरस्त किया जावे तथा ख.नं. 237/2 की सीमा तक नामांतरकरण को अपास्त किया जावे तथा नक्शा भी सही किया जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

6. अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता श्री शंकरसिंह ने अपील मीमों में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया कि बंटवारा आदेश दिनांक 11.09.2015 में ख.नं. 237 की 57–15 बीघा भूमि अपीलांट्स को आवंटित की है, परंतु नामांतरकरण में सिर्फ 55–05 बीघा ही दर्ज की है तथा शेष 2–10 बीघा भूमि का नया ख.नं. 237/2 मनमर्जी से सृजित करके प्रत्यर्थीगण डूंगरसिंह वगैरा के नाम दर्ज कर दिया है, जो गलत है। ख.नं. 237/2 के रूप में 2–10 बीघा भूमि डूंगरसिंह वगैरा को आवंटित करने का बंटवारा आदेश में कोई उल्लेख ही नहीं है। उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी अपीलांट्स को दिनांक 25.11.2024 को रेस्पोंडेंट्स सं. 1 से 4 को मौके पर आने पर हुई। दिनांक 03.12.2024 को पटवारी हल्का से आक्षेपित नामांतरकरण की नकल लेकर अपील अंदर म्याद पेश की है, जिसे स्वीकार की जावे।

7. प्रत्यर्थीगण सं. 1, 5, 6 व 9 के विद्वान अधिवक्ता श्री भीखसिंह भाटी ने बहस करते हुए कथन किया कि प्रकरण में रिकॉर्ड व विधि अनुसार, निर्णय पारित कर दिया जावे।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

8. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन कर, उसका अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत कथनों व तर्कों पर गंभीरता से मनन किया।

9. अपीलांट्स द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित कथन उपयुक्त एवं सद्भावी प्रतीत होते है। प्रकरण के विशेष तथ्यों एवं परिस्थितियों अनुसार अपीलांट्स द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम 1963 को स्वीकार किया जाता है। देरी को कन्डोन किया जाता है तथा अपील अंदर म्याद प्रस्तुत होना सुमार की जाती है।

10. (a)पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखानुसार व नामांतरकरण सं. 33 ग्राम उम्मेदगढ, पटवार हल्का देडा में अंकित विवरण अनुसार ख.नं. 217 रकबा 25–03 बीघा तथा ख.नं. 237 रकबा 120–14 बीघा भूमि डूंगर सिंह, राणीदान सिंह, भोजराज सिंह, फतेसिंह, गुमान सिंह–1/3 हिस्सा तथा भीखसिंह, तगत सिंह, चनण सिंह–1/3 हिस्सा एवं भंवर सिंह, गजे सिंह, प्रेमसिंह, मान सिंह, गायडसिंह, गोरधन सिंह, किलाण सिंह–1/3 के नाम खातेदारी में दर्ज है।

(b)तहसीलदार, बालेसर द्वारा पारित आदेश कमांक 1308 दिनांक 11.09.2015 से ख.नं. 217 रकबा 25–03 बीघा भूमि का बंटवारा करके 19–18 बीघा ख.नं. 217 की भूमि डूंगर सिह वगैरा को तथा शेष 5–05 बीघा भूमि ख.नं. 217/1 के रूप में अपीलांट्स भीखसिंह वगैरा को आवंटित की है। उक्त न्यायिक आदेश दिनांक 11.09.2015 के विरूद्ध आक्षेपित नामांतरकरण के कॉलम सं. 11 में ख.नं. 217 की 17–08 बीघा भूमि ही डूंगरसिंह वगैरा के नाम दर्ज की है अर्थात् 2–10 बीघा कम दर्ज है तथा ख.नं. 217/1 की आंवटित 5–05 बीघा की जगह 7–15 बीघा भूमि अपीलांट्स भीखसिंह वगैरा को अर्थात् 2–10 बीघा अधिक दर्ज की है, जो आदेश दिनांक 11.09.2015 के विपरीत है।

(c)इसी प्रकार बंटवारा आदेश दिनांक 11.09.2015 से ख.नं. 237/1 के रूप में 57–15 बीघा भूमि अपीलांट्स भीखसिंह वगैरा को आवंटित की है, परंतु नामांतरकरण सं. 33 के कॉलम सं. 11 में ख.नं. 237/1 का रकबा 55–05 बीघा भूमि ही अपीलांट्स भीखसिंह वगैरा के नाम दर्ज किया है तथा नया ख.नं. 237/2 सृजित करके रकबा 2–10 बीघा भूमि डूंगर सिंह वगैरा के नाम दर्ज कर दी है, जो आदेश के विपरीत है। बंटवारा आदेश में ख.नं. 237 में डूंगरसिंह वगैरा को कोई भूमि आवंटित ही नहीं की गई है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

इस प्रकार पटवारी ने अपने स्तर से ख.नं. 217/1 में से 2–10 बीघा भूमि अपीलांट्स को, डूंगरसिंह वगैरा को आंवटित ख.नं. 217 की 19–18 बीघा में से बिना किसी सक्षम आदेश के किया गया है तथा यह इन्द्राज अवैध होने से, अपास्त योग्य है, परंतु अपीलांट्स इस बाबत मौन है।

(d)राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के नियम 126/128 व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 133/135 के प्रावधानों के अनुसार नामांतरकरण सिर्फ राजस्व अधिकारी/न्यायालय द्वारा पारित आज्ञाओं/आदेश के अनुसार ही दर्ज किया जा सकता है। पटवारी ने नामांतरकरण के कॉलम सं. 14 में तहसीलदार, बालेसर के आदेश कमांक 1308 दिनांक 11.09.2015 की पालना में नामांतरकरण दर्ज करने का उल्लेख किया है परंतु कॉलम सं. 11 में ख.नं. 217, 217/1, 237/1, 237/2 के रकबा में एवं लाभान्वितों के विवरण में अपने स्तर से परिवर्तन किया है, जो बिना किसी संशोधित आदेश के, किये गये इन्द्राज है तथा ऐसे इन्द्राजों को लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसी प्रकार बंटवारा आदेश के संलग्न विभाजन नक्शों में भी अपने स्तर से ख.नं. 237/2 को अलग दर्शाया है। पटवारी द्वारा तहसीलदार द्वारा प्रमाणित बंटवारा नक्शें व आदेशों के विपरीत रकबा में/पक्षकारों बाबत किये अलग इन्द्राजों को, भू अभिलेख निरीक्षक सेखाला द्वारा दिनांक 01.03.2016 को "जांच की/अंकन सही पाया गया" लिखा है। उक्त भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 121(3) के प्रावधानानुसार, भू.अ.निरीक्षक द्वारा शत प्रतिशत इन्द्राजों की जांच करके, सही होने का अनुप्रमाणन करना अनिवार्य है, परंतु भू.अ. निरीक्षक ने भी नियमों की अवहेलना करके, आदेश के विपरीत गलत रूप से दर्ज इन्द्राजों को सही होना प्रमाणित किया है। पटवारी व भू.अ. निरीक्षक द्वारा गलत इन्द्राजों/जांच के आधार पर तहसीलदार ने भी लापरवाही बरतते हुए दिनांक 01.03.2016 को आक्षेपित नामांतरकरण सं. 33 स्वीकृत किया है। ऐसे गलत इन्द्राजों को यथावत रखना विधि सम्मत नहीं माना जा सकता तथा आक्षेपित आदेश निरस्त योग्य है तथा अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील ख.नं. 217, 217/1 तथा 237/2 व 237/1 की सीमा तक स्वीकार योग्य है तथा ये इन्द्राज अपास्त करने योग्य है। न्यायालय के आदेशों के विपरीत रिकॉर्ड में अमल दरामद करने का कृत्य गंभीर दुराचरण है तथा पटवारी/भू.अ.नि. ने आदेश के 5 माह 15 दिवस बाद, ये इन्द्राज बदनियति से अपने पदीय कृत्यों का दुरूपयोग करके, पक्षकार विशेष को नाजायज लाभ पहुंचाने की नियत से किये है। ऐसी प्रवृति पर

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अंकुश लगाना नितांत आवश्यक है, अन्यथा न्यायालय के आदेश का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। मुद्दा बहुत ही गंभीर प्रकृति का है।

आदेश

11. परिणामस्वरूप उपरोक्तानुसार तथ्यात्मक व अभिलेखीय विवेचनानुसार व निष्कर्षानुसार अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा ग्राम उम्मेदगढ (वर्तमान प.मं. लवारन) के नामांतरकरण सं. 33 पर ख.नं. 217, 217/1, 237/1 व 237/2 की सीमा तक के इन्द्राजों को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, सेखाला जिला जोधपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार, बालेसर द्वारा पारित आदेश क्रमांक राजस्व/1308 दिनांक 11.09.2015, जिसकी पालना में उक्त नामांतरकरण दर्ज करना बताया गया है, की मूल बंटवारा पत्रावली का अवलोकन करके, मूल आदेश अनुसार ख.नं. 217 रकबा 19–18 बीघा, 217/1 रकबा 5–05 बीघा एवं ख.नं. 237/1 रकबा 57–15 बीघा, ख.नं. 237 रकबा 62–19 बीघा का राजस्व रिकॉर्ड में आदेश अनुसार ही दर्ज करे। ख.नं. 237/2 का सृजन व आवंटित रकबा 2–10 बीघा को अवैध घोषित किया जाकर, इन्द्राज अपास्त किये जाते है तथा नक्शा किश्तवार में ऑनलाईन नक्शें में ख.नं. 237/2 की गई तरमीम निरस्त की जाती है तथा ख.नं. 237/1 की तरमीम मूल बंटवारा आदेश में प्रमाणित नक्शा अनुसार, रिकॉर्ड में की जावे। शेष आदेश यथावत रखा जाता है।

12. तहसीलदार, सेखाला को आदेशित किया जाता है कि दिनांक 26.02.2016 को आक्षेपित नामांतरकरण सं. 33 ग्राम उम्मेदगढ को दर्ज करने वाले पटवारी व उसकी दिनांक 01.03.2016 को जांच करने वाले निरीक्षक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु, राजस्थान सिविल सेवा (सी.सी.ए.) नियम 1958 के तहत आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र तैयार कर, श्रीमान जिला कलक्टर (भू.अ.) महोदय, जोधपुर सात दिवस में भेजे जावे।

13. निर्णय की प्रति श्रीमान जिला कलक्टर (भू.अ.) महोदय, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

14. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार, सेखाला, जिला जोधपुर को तुरंत लौटाया जावे।

15. अपीलांट्स दिनांक 20.02.2026 को तहसीलदार, सेखाला, जिला जोधपुर के समक्ष उपस्थित होवे। तहसीलदार सेखाला प्रकरण का निपटारा दोनों पक्षों को सुनकर तीन माह की अवधि में करने का यथासंभव प्रयास करे।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

16. प्रकरण में लंबित अन्य समस्त प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो तो) तथा स्थगन प्रार्थना पत्र का भी मूल अपील के निस्तारण के कारण, निस्तारण एतद्द्वारा किया जाता है।

17. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(जवाहर चौधरी) 28/1/26
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर।

यह निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी) 28/1/26
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर।